RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : मंगलवार 06 फरवरी 2024 वर्ष 05 अंक 285 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुंबई के लोगों के लिए बड़ी राहत
राज्य कैबिनेट ने बैठक में लिए 'ये' 20 बड़े फैसले...

मुंबई : मुंबई कैबिनेट निर्णय आज: आज हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों में मुंबईकरों को बड़ी राहत मिली है. मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके अलावा सरकार दो लाख रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने जा रही है. स'ाद्री गेस्ट हाउस में आयोजित कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए।

कैबिनेट बैठक के संक्षिप्त निर्णय:

1. इस साल भी मुंबईकरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
2. नमो राज्य में महारोजगार मेलों का आयोजन करेगा. 2 लाख नौकरियां, स्वरोजगार पैदा होंगे.
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार संवेदनशील. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना से 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को लाभ मिलेगा
4. नगरोत्थान महाभियान अब प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में लागू किया जायेगा। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा
5. किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए बांस की खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी
6. माढ़ा ग्राम योजना पूरे राज्य में लागू की जायेगी. शहद उद्योग को सुदृढ़ बनाना
7. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जुन्नार तालुका में तेंदुआ सफारी
8. बंजारा, लमान समाज की शाखाओं का विकास करेंगे। बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी
9. शिरडी हवाई अड्डे का और विस्तार, नये भवन का निर्माण
10. मीठागर धारावी पुनर्वास के लिए केंद्र से मांग करेंगे
11. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के संशोधित भत्ते
12. स्व.बालासाहेब ठाकरे उपसा सिंचाई सांगोला परियोजना को संशोधित मंजूरी
13. गैर-कृषि सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता। ऋण देने वाली संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा
14. कोंडेन लघु परियोजना कार्य की लागत वृद्धि को मंजूरी
15. तिवासे लघु सिंचाई योजना को पुन: स्थापित करेंगे
16. नांदेड़ के गुरुद्वारे के लिए तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम
17. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की छवि को ऊंचा उठाने के लिए जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी
18. कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु अब साठ वर्ष है
19. सिंधुदुर्ग जिले में लोक निर्माण का नया बोर्ड कार्यालय
20. गोसेवा आयोग के लिए सहायक आयुक्त पशुपालन का पद

नवी मुंबई में नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोप में मामा गिरफ्तार

ठाणे : महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने एक व्यक्ति को अपनी 15 वर्षीय भांजी से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, नवी मुंबई के नेरुल इलाके का रहने वाला 34 वर्षीय आरोपी नाबालिग लड़की का मामा है। नेरुल थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने चार अक्टूबर 2023 को अपने घर में नाबालिग से कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि लड़की ने बाद में कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का शिकायत की, जिसके बाद उसे मुंबई के निकट गोवंडी इलाके के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के अधिकारियों ने नेरुल पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

भाई की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत दे दी है, जिसने अपने बड़े भाई को शेयर बाजार में 1.40 लाख रुपये खोने के बाद हुई झड़प में चाकू मार दिया था। मालेगांव निवासी मंथन धुलप को जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि घटना ''क्षणिक आवेश में और गंभीर और अचानक उकसावे पर'' हुई। न्यायमूर्ति माधव जामदार ने 1 फरवरी को कहा, ''यह स्पष्ट है कि मृतक ने आवेदक (धुलप) पर मुक्कों और लातों से हमला करना शुरू कर दिया था और उसके बाद अचानक उकसावे के कारण यह घटना घटी।'' अभियोजन पक्ष के अनुसार, धुलप के बड़े भाई ने उनसे और उनकी मां से यह दावा करते हुए पैसे उधार लिए कि वह जूते का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। 28 अक्टूबर 2022 को धुलप ने कारोबार के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने शेयर बाजार में निवेश किया था और सारा पैसा डूब गया। इसके बाद उसके भाई ने धुलप की छाती पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक उकसावे के कारण, धुलप ने जवाबी कार्रवाई की और अपने भाई पर चाकू से हमला किया, जिसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। तीन दिन बाद धुलप को गिरफ्तार कर लिया गया। धुलप के वकील सत्यव्रत जोशी ने तर्क दिया कि घटना गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई। जोशी ने अदालत को यह भी बताया कि धुलप, जिसकी घटना से कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, 31 अक्टूबर से हिरासत में है।सरकारी वकील एसएस कौशिक ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धूलप ने अपने भाई पर चाकू से हमला किया था।हालाँकि, न्यायमूर्ति जामदार ने कहा कि आरोप पत्र से राहत मिली है कि घटना आवेश में घटित हुई। न्यायाधीश ने कहा, इसके अलावा, आरोपपत्र के अनुसार 17 गवाहों से पूछताछ की जानी है और मुकदमे को समाप्त होने में काफी समय लगने की उम्मीद है। अदालत ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर उनकी रिहाई का निर्देश दिया है। उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने और गवाहों से संपर्क करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें मुकदमे में नियमित रूप से उपस्थित होने और अनावश्यक स्थगन न मांगने का भी निर्देश दिया गया है।

चेंबूर में फर्जी जमीन सौदे में व्यवसायी को 10 लाख का नुकसान...

मुंबई: चेंबूर स्थित एक व्यवसायी, जो अपने 'दूध और दूध-उत्पाद' विनिर्माण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए जमीन की तलाश कर रहा था, को एक फर्जी रियल एस्टेट एजेंट ने 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी निवासी 42 वर्षीय पीड़ित राजकुमार खटाना ने शनिवार रात पुलिस से संपर्क किया। उनके बयान के अनुसार, खटाना अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे और एक विनिर्माण इकाई खोलना और शहर के बाहर कहीं जमीन खरीदना चाह रहे थे। एक पारस्परिक मित्र के माध्यम से, खटाना का परिचय खारघर के अरुण पलस्कर से हुआ, जो एक रियल एस्टेट एजेंट होने का दावा करता था। पलास्कर खटाना और उसके दोस्त दत्ता माने को रायगढ़ जिले के खालापुर ले गया। उसने उन्हें तीन जमीनें दिखाईं, जिनमें से खटाना ने एक खरीदने का फैसला किया। पलास्कर ने कहा कि जमीन की कीमत उन्हें 10 लाख रुपये और 1 लाख रुपये होगी, जो उनका कमीशन होगा। उन्होंने खटाना से कहा कि भुगतान पूरा करने के बाद, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जमीन उनके नाम पर हो जाएगी। पलास्कर ने खटाना को 7/12 अर्क या 'भूमि अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान किया और सौदा चेंबूर में खटाना के आवास पर किया गया।

कांदिवली स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में एक्शन में मुंबई पुलिस, टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ भी केस दर्ज

मुंबई: समता नगर पुलिस ने कांदिवली के एक स्कूल में 4 साल की छात्रा के साथ हुए कथित दुष्कर्म के मामले में स्कूल की प्रिंसिपल और दो टीचरों को भी सह आरोपी बनाया है। इसके साथ ही, इस मामले में अब तक चार लोग आरोपी बनाए जा चुके हैं। इनमें से एक आरोपी, जो स्कूल का वॉचमैन है, उसे शनिवार को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जोन 12 की डीसीपी स्मिता पाटील ने बताया कि समता नगर पुलिस इस मामले में पीड़ित परिवार के बयान के आधार

पर आरोपियों के खिलाफ हर पहलू से जांच कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लोगों से अपील है कि वे किसी प्रकार की अफवाह अथवा भड़काव वाली बातों में नहीं आएं। पुलिस वॉचमैन को अरेस्ट भी कर चुकी है। सबूत और बयान के आधार पर पुलिस घटना वाले दिन से ही कार्रवाई कर रही है। जैसे-जैसे वॉचमैन के अलावा दूसरे लोगों की भूमिका सामने आ रही हैं, वैसे-वैसे पुलिस अतिरिक्त सेक्शन जोड़ कर आरोपियों को नामजद कर जांच में जुट जाती हैं।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

शिखर को सम्मान

BJP के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न प्रदान करना राजनीति की उस परंपरा को सम्मानित करना है, जो हर जरूरी मौके पर दलगत सीमाओं से ऊपर उठती रही है, जो विरोधियों का सम्मान करने और उनसे सम्मान पाने की क्षमता से ताकत पाती रही है। निश्चित रूप से यह एक बड़ा फैसला है और इसके कई पहलू हैं।

यह फैसला ऐसे समय किया गया है, जब अयोध्या के राममंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ है। अगर रामजन्मभूमि आंदोलन को परवान चढ़ाने का श्रेय किसी एक राजनीतिक नेता को दिया जा सकता है तो वह आडवाणी ही हैं। नब्बे के दशक की शुरूआत में की गई उनकी रथयात्रा ने इस मुद्दे को जितनी मजबूती दी, उतनी शायद ही किसी एक घटना ने दी हो। बावजूद इसके, हाल के दिनों में ऐसी आवाजें उठ रही थीं कि आडवाणी को उतना श्रेय नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। भारत रत्न देने का यह फैसला ऐसी तमाम आलोचनाओं की गुंजाइश समाप्त कर देता है।

पिछले महीने ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कपूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। हालांकि उस फैसले का राजनीति की सभी धाराओं ने समर्थन किया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यह बात भी दर्ज हो ही गई थी कि सरकार ने उस समाजवादी धारा को सम्मानित किया जो वैचारिक तौर पर मौजूदा राष्ट्रवादी धारा के खिलाफ मानी जाती है। ऐसे में जाने-अनजाने इस फैसले ने राजनीतिक संतुलन की जरूरत को भी पूरा कर दिया है।

मगर आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले का बड़ा संदेश है जो इन छोटी-मोटी जरूरतों से काफी आगे जाता है। आडवाणी की राजनीति में भले ही एक तरह की वैचारिक आक्रामकता रही हो और इस वजह से उसके समर्थन और विरोध में तीव्र भावनाएं देखने को मिलती हों, जहां तक उनके व्यक्तिगत आचरण की बात है तो उन्होंने हमेशा शुचिता बनाए रखी और यह बात उनके कट्टर विरोधी भी स्वीकार करते हैं। हवाला घोटाला में नाम आते ही आडवाणी ने न सिर्फ संसद की सदस्यता छोड़ दी बल्कि यह भी कहा कि जब तक बेदाग नहीं साबित हो जाते तब तक न तो चुनाव लड़ेंगे और न ही कोई सार्वजनिक पद स्वीकार करेंगे।

उनके राजनीतिक जीवन का जो नेगेटिव बिंदु कहा जा सकता है वह है उनकी अगुआई वाले आंदोलन के दौरान बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपराध करार दिया है। लेकिन यहां खास बात यह रही कि उन्होंने कभी उस घटना का समर्थन नहीं किया। वह हमेशा मंदिर आंदोलन की रचनात्मक विशिष्टता को रेखांकित करते हुए उसे देश की गौरवशाली आध्यात्मिक परंपरा से जोड़े रखने पर जोर देते रहे। उन्हें भारत रत्न देने का फैसला निस्संदेह स्वागत योग्य है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है... देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई

मुंबईः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता और राज्य कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. फडणवीस ने शनिवार को देर रात में संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले साल 16 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने अपनी ही सरकार पर मराठा समुदाय को ओबीसी कोटा में ''पिछले दरवाजे से'' आरक्षण देने का आरोप लगाया है.

छगन भुजबल ने कहा कि वे दो महीने से अधिक समय तक चुप रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में नहीं बोलने के लिए कहा था. देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से कहा, ''मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे, लेकिन मैं अभी केवल इतना ही कह सकता हूं कि भुजबल का इस्तीफा मैंने या मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया है.'' शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता एवं सांसद संजय राउत ने भुजबल के इस खुलासे को ''बेकार की बात'' करार दिया कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा पिछले साल नवंबर में दे दिया था.

संजय राउत ने कहा, ''ऐसा बताया जा रहा है कि (कार्यकर्ता) मनोज जरांगे द्वारा मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने के खिलाफ भुजबल के गुस्से के पीछे (उपमुख्यमंत्री) देवेंद्र फडणवीस का हाथ है. दोनों मिले हुए हैं. मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे या आप इस्तीफा दे देंगे लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे.'' राज्यसभा सांसद ने पूछा कि भुजबल का इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है या उपमुख्यमंत्री फडणवीस के पास. उन्होंने कहा, ''हमारा विचार है कि सभी समुदायों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करने की कीमत पर नहीं.'' उन्होंने कहा कि भुजबल का भी यही कहना है.

जरांगे ने रविवार को कहा कि भुजबल मराठा आरक्षण के बारे में अपने बयानों से उपमुख्यमंत्री अजित पवार और फडणवीस को ''नुकसान'' पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. जरांगे ने जालना के अंतरवाली सरती गांव में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भुजबल के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए छेड़-छाड़ करके और फर्जी रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.

भुजबल ने शनिवार को दोहराया कि वह मराठा समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन मौजूदा ओबीसी कोटा साझा करने के खिलाफ हैं. वह अजित पवार-नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं.

वरिष्ठ ओबीसी नेता ने कहा, ''बर्खास्त करने की कोई जरूरत नहीं है. मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है. मैं अंत तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा.''

सेक्स रैकेट का भंडाफोड़... मॉडल और अभिनेत्रियां थीं शामिल

भायंदरः एक स्वयंभू निमार्ता सहित दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ, मीरा भयंदर-वसई विरार पुलिस से जुड़ी मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू) ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है जिसमें महत्वाकांक्षी मॉडल और अभिनेत्रियां शामिल थीं। उन्हें टेली-सीरियल और वेब-सीरीज में प्रमुख भूमिकाएँ देने की आड़ में वेश्यावृत्ति गतिविधियों में धकेल दिया गया।

पुलिस को सोलोमन रत्नमैया नरकंथालु (55) और उसके साथी माइकल डेविड मुक्तिपोगु उर्फ चंद्रराज (22) के रूप में पहचाने जाने वाले एक जोड़े के बारे में सूचना मिली थी, जो महत्वाकांक्षी मॉडलों की तस्वीरें साझा करके संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वेश्यावृत्ति रैकेट चला रहे थे। एएचटीयू हरकत में आया और एक फर्जी ग्राहक के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित किया। सौदा करने के बाद, धोखेबाज ने पुलिस को सूचित किया जिसके बाद भयंदर (पूर्व) के इंद्रलोक इलाके में जाल बिछाया गया और दोनों को शुक्रवार को पकड़ लिया गया।

चार महिलाओं को उन रैकेटर्स के चंगुल से बचाया गया, जिन्होंने 40,000 रुपये लेकर मीरा रोड, भयंदर, गोराई, ठाणे के लॉज और लोनावाला और दमन जैसे दूर के होटलों में यात्रा और आवास की सुविधा प्रदान की थी।जांच से पता चला कि मुख्य आरोपी, नारकंथालु, जो एक निमार्ता होने का दावा करता था, ने महत्वाकांक्षी अभिनेत्रियों को धारावाहिकों और वेब श्रृंखला में भूमिकाओं की पेशकश का लालच दिया, लेकिन इसके बजाय उन्हें वेश्यावृत्ति गतिविधियों में मजबूर किया।जबकि लड़कियों को एक कल्याण गृह में भेज दिया गया है, दोनों पर आईपीसी की धारा 370 और अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम (PITA), 1956 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ठेकेदारों और इंजीनियरों के संगठनों ने की गुहार- हमें गुंडों से बचाओ

मुंबईः महाराष्ट्र में ठेकेदारों और इंजीनियरों के दो संगठनों ने मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों को संयुक्त पत्र लिखकर कहा है कि उनकी सुरक्षा की जाए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए तो वे फरवरी के अंत से काम बंद कर देंगे। उनका आरोप है कि सरकार में शामिल पार्टियों के लोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से उन्हें जान से मारने की धमकियां, जबरन वसूली कॉल और गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन लोगों से खुलेआम रिश्वत सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हर स्तर के नेता मांग रहे हैं।

महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस को लिखे पत्र में इन लोगों ने कहा- महाराष्ट्र के हर जिले में धमकी और वसूली का एकजैसा पैटर्न है। सत्ताधारी पक्ष के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और स्थानीय स्तर के नेता ठेके वाले कार्यों को जबरदस्ती रोक रहे हैं, ठेकेदारों पर हमले किए जा रहे हैं और पैसे की उगाही हो रही है। उनका आरोप है कि ये समूह हर जगह एक समान तरीके से काम कर रहे हैं, जहां वे ठेकेदार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं और बाद में पैसे की मांग करते हैं। पत्र में कहा गया कि ठेकेदारों ने जो काम लिया है, उसका खामियाजा चुपचाप भुगत रहे हैं और उसे पूरा करने को बाध्य हैं।

भोंसले ने कहा- ''हमारे अनुमान के मुताबिक, राज्य सरकार ने राज्य में एक लाख करोड़ रुपये तक के कार्यों के आदेश जारी किए हैं। हमारे ठेकेदारों को साइट विजिट के दौरान जमीनी स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां स्थानीय सत्ताधारी पक्ष के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हमले करके जबरदस्ती काम रोक रहे हैं। सरकारी अधिकारी ऐसे मामलों पर आंखें मूंद रहे हैं और हमारे सदस्य धमकियों के डर से शिकायत दर्ज करने से डरते हैं।जमीनी हकीकत को समझे बिना परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के लिए ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाता है। भोसले ने कहा कि ठेकेदारों के पास आखिरी विकल्प काम पूरी तरह बंद करना है।

पिछले 20 महीनों में राज्य में अभूतपूर्व राजनीतिक उठापटक का दौर रहा है। जून 2022 में एमवीए ने सत्ता खो दी जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को विभाजित कर दिया और नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बदले उद्धव ठाकरे के सुर, महाराष्ट्र में होगा नया खेला!

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी हमले किए। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनका लहजा नरम ही रहा। उद्धव ठाकरे के तेवर बदले-बदले से नजर आए। उन्होंने कहा, हम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने ही शिवसेना से संबंध तोड़ने का फैसला किया था। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। हमने पिछली बार अपने गठबंधन के लिए प्रचार किया था। आप प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि विनायक राऊत जैसे हमारे सांसद चुने गए। हालांकि, बाद में आपने ही हमें खुद से दूर कर दिया। ठाकरे ने कहा, हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है, लेकिन भाजपा उस भगवा झंडे को फाड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी महाराष्ट्र यह देखने आते हैं कि यहां से क्या गुजरात ले जाया जा सकता है।भाजपा पर बोला हमला इस दौरान उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया।

उन्होंने कहा, हम साल हम गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। मुझे डर है कि अगर सत्ता में बैठे राक्षस फिर से चुने गए तो अगला गणतंत्र दिवस हमारे सामने कभी नहीं आएगा, यह तानाशाह दिवस होगा। इस दौरान ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने हमें परेशान किया है, उन्हें इतना कड़ा सबक सिखाया जाएगा कि अगली पीढ़ी को उनका नाम भी याद नहीं रहेगा। भाजपा ने अपनी पहचान खो दी उद्धव ठाकरे ने कहा, भाजपा ने दूसरों को अपनी पार्टी में लाने के चक्कर में अपनी पहचान खो दी है और उनकी पार्टी वहीं खड़ी है, जहां पहले थी। उन्होंने कहा, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि हमारा हिंदुत्व दो धर्मों के बीच आग लगाने के बारे में नहीं है। हमारा हिंदुत्व रसोई में चूल्हा चलाने के बारे में हैं।प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उद्धव ठाकरे का लहजा नरम रहा। उन्होंने कहा, हम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं हैं। पीएम मोदी ने ही शिवसेना से संबंध तोड़ने का फैसला किया था।''

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी हमले किए। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनका लहजा नरम ही रहा। उद्धव ठाकरे के तेवर बदले-बदले से नजर आए। उन्होंने कहा, हम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने ही शिवसेना से संबंध तोड़ने का फैसला किया था।''

सेक्स से इनकार... पत्थर से वार बेघर महिला की हत्या

मुंबई: पुलिस ने 40 वर्षीय महिला की मौत के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका शव पिछले महीने सेवरी में सड़क किनारे मिला था, एक अधिकारी ने शनिवार को कहा। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को सपना सतीस बाथम की हत्या के आरोप में शहजादा उर्फ रमजान शेख (37) को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को सेवरी में सड़क किनारे झाड़ियों में एक महिला का आंशिक रूप से क्षत-विक्षत शव मिला था। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने पीड़ित की पहचान सुनिश्चित करने के लिए लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। एक फुटेज में एक जोड़े को स्कूटर से घटनास्थल पर आते और झाड़ियों में घुसते देखा गया। उन्होंने कहा कि वाहन के लाइसेंस प्लेट नंबर के आधार पर, पुलिस ने आरोपी तक पहुंच बनाई और पीड़ित की पहचान स्थापित की। महिला बेघर थी और मुंबई सेंट्रल की सड़कों पर रहती थी। अधिकारी ने कहा कि शेख इलाके में अक्सर आता-जाता था और 14 जनवरी को कथित तौर पर उसने उसे शराब खरीदने का वादा किया और सेवरी ले गया। उन्होंने बताया कि जब पीड़िता ने उसकी सेक्स की मांग मानने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। उसने उसका चेहरा विकृत कर दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। अधिकारी ने कहा कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे और उसे 2018 में उसकी बेटी के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जानवरों जैसा व्यवहार... परभनी जिले में फंसे 19 आदिवासी मजदूरों को कराया मुक्त

सागर : महाराष्ट्र में फंसे शाहगढ़ विकासखंड के ग्राम पापेट के 19 आदिवासी मजदूरों को मुक्त कराया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई की। कलेक्टर ने बताया कि शाहगढ़ के ग्राम पापेट के अनरत आदिवासी एवं लक्ष्मण आदिवासी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे परिवार के सदस्यों को महाराष्ट्र के परभनी जिले के कुछ लोग गन्ना मजदूरी करने के लिए ले गए और हमसे कहा गया था कि उन्हें गन्ना मजदूरी के बदले अच्छी मजदूरी (रुपये) देंगे। पापेट निवासी अनरत आदिवासी एवं लक्ष्मण आदिवासी ने शिकायत में बताया कि हमारे परिवार के सदस्यों को अच्छी मजदूरी के बहाने ले जाया गया था। गन्ना कटाई के लिए पुरुषों और महिलाओं को 600 रुपए प्रति टन के हिसाब से देने एवं रहने की उचित व्यवस्था देने और कच्चा राशन उपलब्ध करने की बात कहकर दो लोडिंग पिकअप गाड़ी से गांव पापेट, तहसील शाहगढ़, जिला सागर से दो दिन की यात्रा करने के बाद परभनी महाराष्ट्र राज्य पहुंचा गया था।

ठेकेदार द्वारा ग्राम मोगरा गन्ना खेत पर झोपड़ी बना कर रहने को कहा गया और खेत पर गन्ना कटाई का काम शुरू कराया गया। ठेकेदार से राशन के लिए पैसे मांगे गए तो ठेकेदार ने अपनी दुकान से 4-5 दिन का राशन लेकर दिया। सुबह 7 बजे से शाम 6-7 बजे तक 11-12 घंटे काम कराया जाने लगा। एक माह बाद ठेकेदार से पैसे मांगने पर अगले माह देने को कहा गया और 2 माह होने पर मजदूरी के पैसे कि मांग की गई। इसके बाद से गोविन्द बंजारा पता नहीं कहा चले गए। मालिक से मजदूरी के पैसे की मांग की गई तो मालिक द्वारा अपशब्द बोले गए और जान से मारने की धमकी दी गई। एक दो महिला साथी मजदूरों के साथ मारपीट भी की। उन्होंने बताया कि उनसे जबरदस्ती देर रात तक काम कराया जा रहा है।

हिरासत में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष , PM नरेंद्र मोदी के बैनर पर कालिख पोतने का आरोप

नागपुर: महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राऊत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि उन्हें जिला परिषद के सामने लगे मोदी सरकार के 'विकसित भारत' के विज्ञापन पर कालिख पोतने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। बता दें कि पीएम मोदी के एक पोस्टर के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की थी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख भी पोत दी थी। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुणाल राउत को कुही से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें सदर थाने में लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।

दरअसल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राऊत को पीएम मोदी के एक पोस्टर पर कालिख पोतना भारी पड़ गया। कुणाल राऊत ने नागपुर जिला परिषद के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर भारत सरकार की जगह मोदी सरकार लिखे होने पर गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद वह अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के उस पोस्टर पर कालिख पोत दी थी। इसी मामले में सदर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। अब इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार कुणाल राउत की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच आज कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस ने कुणाल राउत को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। वहीं कुणाल राउत के साथ-साथ अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव अजीत सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने कुणाल राउत को कुही से हिरासत में लिया था। कुही में वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसके बाद उन्हें नागपुर के सदर थाने में लाया गया है। यहां पर पुलिस उनसे पूछताछ भी करेगी।

धारावी विकास के लिए केंद्र से मांगी साल्ट पैन की जगह, गारंटी पत्र के साथ केंद्र को प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी...

मुंबई : धारावी पुनर्वास परियोजना के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मुंबई की साल्ट पैन की जगह की मांग की है। कैबिनेट बैठक में गारंटी पत्र के साथ केंद्र से राज्य सरकार को साल्टपैन की भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी प्रदान की गई। केंद्र सरकार के स्वामित्व में तकरीबन 283.4 एकड़ नमक की जमीन है। इस जमीन को धारावी पुनर्वास परियोजना के लिए 99 साल की लीज पर राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के बारे प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस जमीन की संयुक्त गणना के बाद केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली जमीन को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। जो जमीन केंद्र सरकार की नहीं है, ऐसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राजस्व विभाग की जमीन को परियोजना के लिए गृह निर्माण विभाग को सौंप दी जाएगी। केंद्र सरकार से जमीन हासिल होने के बाद जमीन के बाजार भाव के अनुसार कीमत राज्य सरकार की विशेष प्रयोजन कंपनी एसपीवी से वसूल की जाएगी।

बता दें कि धारावी पुनर्वास परियोजना के तहत पात्र लोगों को धारावी में ही बसाया जाएगा, जबकि अपात्र लोगों को दूसरी जगह पर बसाने की योजना है। पात्र लोगों को धारावी में ही 350 वर्ग फीट का घर मिलेगा, जबकि अपात्र लोगों को धारावी से बाहर 300 वर्ग फीट का घर मिलेगा। धारावी के सर्वेक्षण और सरकार के डेटा के आधार पर पात्र और अपात्र लोगों का निर्धारण किया जाएगा। वर्ष 2000 के पहले का प्रमाण दिखाने वालों को धारावी में घर मिलेगा, यानी वे पात्र घोषित किए जाएंगे। वर्ष 2000 के बाद के प्रमाण वालों को अपात्र घोषित किया जाएगा। अपात्र लोगों की दो श्रेणी बनाई जाएगी। वर्ष 2000 से 2011 तक के लोगों को पीएमएवाई-शहरी योजना के तहत धारावी से बाहर मुफ्त घर मिलेंगे, जबकि 2011 से 2018 वालों को ढाई लाख रुपए चुकाकर घर दिए जाएंगे। धारावी परियोजना के 7 साल में पूरा होने की संभावना है। अडानी समूह को नवंबर 2022 में धारावी के पुनर्निर्माण का ठेका मिला था। अडानी ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। धारावी करीब 600 एकड़ में फैली है और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। बता दें कि धारावी पुनर्वास परियोजना के लिए सरकार ने एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) बनाई है। इस कंपनी के निदेशक मंडल में दो सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट बैठक में शिर्डी में एयरपोर्ट को विस्तार की अनुमति प्रदान की गई। इसमें टर्मिनल निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए 878 करोड़ 58 लाख व अन्य कार्यों के लिए 490 करोड़ 74 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई।

मुंबई के फोर्ट परिसर में सर जेजे कॉलेज ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग को ढहा दिया गया

मुंबई: दशकों से, मुंबई के फोर्ट परिसर में सर जेजे कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने क्षेत्र में कॉर्पोरेट कंपनियों के कार्यालयों के लिए सचिवों और आशुलिपिकों को प्रशिक्षित किया है। जिस इमारत में यह स्थित था, उसके हाल ही में विध्वंस के साथ, संस्थान, जिसने कंप्यूटर के स्थान पर टाइपराइटर के युग को देखा, ने अपना सात दशक पुराना अस्तित्व समाप्त कर दिया है। नानाभॉय लेन पर धुन बिल्डिंग, जिसमें सात दशक पुराना संस्थान था, को नगर निगम द्वारा खतरनाक घोषित किए जाने के बाद इसके मकान मालिकों झ बॉम्बे पारसी पंचायत (बीपीपी) ने ध्वस्त कर दिया है। संस्थान की शुरूआत 1952 में मुंबई के पारसी-पारसी समुदाय के शीर्ष सामुदायिक ट्रस्ट बीपीपी द्वारा कार्यालय प्रशासन में युवा महिलाओं को प्रशिक्षित करने के केंद्र के रूप में की गई थी। ''मूल रूप से यह केवल टाइपिंग कक्षाओं के लिए था। हमने बाद में अन्य विषय जोड़े, ''संस्थान के पूर्व मानद निदेशक होमी मेहता ने कहा, जो अब पुणे में रहते हैं। मेहता ने अपनी पत्नी होमाई, जो टाटा समूह में सचिव के रूप में काम कर चुकी थीं, के निधन के बाद संस्थान का प्रबंधन संभाला।

टाइपिंग स्कूल के रूप में अपनी औपचारिक शुरूआत से पहले, संस्थान की शुरूआत 1914 में हुई थी जब सर जमशेदजी जेजीभोय पारसी परोपकारी संस्थान वाणिज्यिक कक्षाएं स्थापित की गई थीं। संस्थान के लाभार्थियों में टाइपराइटर निमार्ता गोदरेज और बॉयस शामिल थे जिन्होंने टाइपराइटर दान किए और 1970 के दशक में गोदरेज टाइपिंग विंग की शुरूआत की। प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, संस्थान ने कुछ दशकों बाद एस बी भाभा कंप्यूटर विंग को जोड़ा। शहर के एक निवासी, जिनके पिता ने एक स्थानीय फर्म में स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया था, ने कहा कि डावर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अलावा, जो पास में स्थित है, सर जेजे कॉलेज ऑफ कॉमर्स टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और कार्यालय सहायक के रूप में कौशल हासिल करने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान था। बीपीपी के पूर्व ट्रस्टी और पारसी-पारसी समुदाय के मामलों पर लेखक नोशिर दादरावाला ने कहा, ''यह तब शुरू किया गया था जब काम करने की इच्छुक महिलाओं के लिए बहुत सीमित अवसर थे। महिलाओं के लिए एक विकल्प सचिवीय कार्य था और संस्थान की स्थापना का एक कारण यही था, ''दादरावाला ने कहा। हालाँकि, होमाई मेहता की मृत्यु और टाइपराइटिंग और शॉर्टहैंड पाठ्यक्रमों की मांग में गिरावट के बाद, संस्थान ने अपने द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संख्या कम कर दी। बीपीपी के पूर्व अध्यक्ष दिनशॉ मेहता ने कहा, ''वहां शायद ही कोई पारसी छात्र था और इमारत जर्जर थी। हमने पुनर्निर्माण के लिए (नगर निगम को) योजनाएँ दी थीं लेकिन योजनाएँ अधर में लटकी हुई हैं।''

SC महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे समूह की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र अध्यक्ष राहुल नारवेकर के आदेश को चुनौती देने वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। . ठाकरे समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सूचीबद्ध किया जा सकता है अन्यथा चुनाव होने हैं। सिब्बल ने कहा कि मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना था लेकिन यह सूचीबद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, ''इसे आज सूचीबद्ध किया जाना था। यदि इसे सूचीबद्ध किया जा सका..अन्यथा चुनाव होंगे।'' भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ''हां, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।'' पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली सुनील प्रभु (ठाकरे गुट) की याचिका पर शिंदे और उनके समूह के 38 विधायकों को नोटिस जारी किया था। शिंदे समूह ने उद्धव ठाकरे समूह को अयोग्य ठहराने से स्पीकर के इनकार को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट ने शिंदे समूह की याचिका पर नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत में, शिंदे और उनके समूह को अयोग्य न ठहराने के महाराष्ट्र अध्यक्ष के फैसले के साथ-साथ, ठाकरे गुट ने जून 2022 में विभाजन के बाद शिंदे गुट को 'असली शिवसेना' के रूप में मान्यता देने के अध्यक्ष के आदेश को भी चुनौती दी। संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर करने के लगभग दो साल बाद, स्पीकर का फैसला 10 जनवरी को आया। शिंदे और 38 ''बागी'' शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए, ठाकरे गुट ने कहा कि यह निर्णय ''बाहरी और अप्रासंगिक'' विचारों के आधार पर सत्ता का ''रंगीन'' प्रयोग था। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने स्पीकर से उनके समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा था। विधायकों द्वारा ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के बाद, 23 जून, 2022 को उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त शिवसेना पार्टी के सचेतक सुनील प्रभु द्वारा बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई थी। पिछले साल मई में, 11 पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना था कि वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को अयोग्य नहीं ठहरा सकती और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करने के बजाय इस्तीफा देने का विकल्प चुना था।

सोशल मीडिया पर मौत की झूठी अफवाह फैलाने के लिए पूनम पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज

मुंबई: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मुंबई पुलिस को एक लिखित शिकायत दी और प्रचार पाने और सनसनी पैदा करने के लिए अपनी मौत की झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में मॉडल पूनम पांडे की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों को गुमराह करना. पुलिस कमिश्नर को लिखे अपने पत्र में फैजान ने लिखा कि पूनम पांडे ने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का मजाक उड़ाया है और कैंसर से पीड़ित लोगों का अपमान किया है.

''मेरा नाम फैजान अंसारी है। मैं मुंबई का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। भारतीय अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे ने पूरे देश का मजाक उड़ाया है। एक मुंबई नागरिक के रूप में, मैं झूठ बोलने, धोखा देने और एक मेजर का मजाक उड़ाने के लिए पूनम पांडे को दोषी मानता हूं।'' उन्होंने कहा, ''कैंसर जैसी बीमारी और कैंसर से पीड़ित लोगों का अपमान। मैं लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए मामला दर्ज कर रहा हूं ताकि कोई भी इस तरह के झूठ को प्रकाशित न कर सके।''

गौरतलब है कि पूनम के खिलाफ पुलिस में दर्ज यह तीसरी लिखित शिकायत है, इससे पहले सिने वर्कर्स एसोसिएशन और एडवोकेट अली कासिफ ने शिकायत दर्ज कराई थी। 2 फरवरी को, पूनम के प्रबंधक ने घोषणा की कि अभिनेत्री ने सर्वाइकल कैंसर से अपनी जान गंवा दी है। पूनम के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक बयान भी पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा था, ''यह सुबह हमारे लिए कठिन है। आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपनी प्यारी पूनम को सर्वाइकल कैंसर के कारण खो दिया है। हर जीवित प्राणी जो कभी भी उसके संपर्क में आया था। शुद्ध प्रेम और दयालुता से मुलाकात हुई।''

मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की समर्थकों से शांति की अपील

मुंबई: गुजरात के जूनागढ़ में हेट स्पीच देने के आरोपी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में ले लिया गया है. मौलाना अजहरी को गुजरात एटीएस ने हिरासत में लिया है. मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई के घाटकोपर से हिरासत में लिया गया है. वहीं जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने पहुंची तो उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया. वहीं इसके बाद मौलाना की तरफ से अपने समर्थकों समझाया गया. दरअसल हेट स्पीच मामले में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर धारा 153अ, 505, 188, 114 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं इस मामले में हिरासत में लिए गए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने समर्थकों से विरोध न करने का अनुरोध किया और कहा कि ''न तो मैं अपराधी हूं और न ही किसी अपराध पर मुझे यहां लाया गया है. वे जरूरी जांच कर रहे हैं और मैं मैं भी उनका सहयोग कर रहा हूं और आप भी करिए. अगर मेरे भाग्य में होगा तो मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सब ये जगह खाली कर दीजिए.'' वहीं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील वाहिद शेख ने कहा, ''मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के घर पर सुबह सिविल ड्रेस में 35-40 पुलिसकर्मी मौजूद आए थे. हमने उनसे उनके आने का मकसद पूछा, लेकिन कुछ भी जानकारी नहीं दी गई. मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी से समन्वय करने के बाद उन्होंने (पुलिस ने) कहा कि गुजरात में 153 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है. मुफ्ती सलमान अजहरी उनके साथ पुलिस स्टेशन आए और सहयोग भी किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. मुफ्ती सलमान कोऑपरेट करने को तैयार हैं लेकिन पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है.''

पांच लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही एआईएमआईएम

ठाणे : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीट में से पांच पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। यहां भिवंडी में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अब्दुल गफ्फार कादरी ने कहा कि पार्टी राज्य की उत्तरी मुंबई, धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजीनगर सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी नीत पार्टी प्रभावी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए फिलहाल इन सीट पर सर्वेक्षण कर रही है। इसके साथ ही कादरी ने विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) पर खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए निशाना साधा और कहा कि दोनों दल एआईएमआईएम को 'अछूत' मानते हैं। उन्होंने 'तथाकथित' धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा एआईएमआईएम के साथ किए गए व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाया। एआईएमआईएम, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का हिस्सा नहीं है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com